

**झारखंड सरकार**  
**उद्योग निदेशालय**

सं0स0 : 01/उ0नि0/विविध/कार्य आवंटन-83/2001

**कार्यालय आदेश**

श्री आलोक कुमार, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 के तहत उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची में सूचना अधिकार के तहत प्राप्त प्रथम अपील की सुनवाई/निष्पादन हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है।

ह0/-  
(जिज्ञान कमर)  
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक \_\_\_\_\_/दिनांक  
01/उ0नि0/विविध/कार्य आवंटन-83/2001


प्रतिलिपि: मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना अधिकार कार्यालय, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक 189/दिनांक 24/01/2019  
01/उ0नि0/विविध/कार्य आवंटन-83/2001

प्रतिलिपि: सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, ह0रे0ह0, निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, उद्योग के गोपनीय कोषांग/सभी उप उद्योग निदेशक/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी कार्यवाहक सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/ श्री प्रवीण कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को निदेशित है कि इसे विभागीय एवं अन्य वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

  
उद्योग निदेशक